(ख) यदि हां, तो इस के लिये वर्ष १९६२-६३ के लिये कितनी धनराशि रखी गई है;

(ग) इस अनुदान को प्राप्त करने के लिये कौन सी शर्तें रखी गई हैं; और

(घ) अनुदान का आधार क्या होगा ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) ११ लाख रुपये ।

(ग) वे सांस्कृतिक संस्थायें, जो कम से कम तीन साल से काम कर रही हों और जो रजिस्ट्रेशन सोसायटीज एक्ट (XXI 1860) के या इसी तरह के एक्टों के अधीन रजिस्टर हो चुकी हैं, अनुदान के लिये आवेदन कर सकती हैं ।

(घ) संस्था के काम और उस की इमार की जरूरत ।

अल्प बचत की राशि

३१६ { **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प बचत योजना के अन्तर्गत १९६०-६१ और १९६१-६२ वर्ष में सरकार को कितना धन मिल सका है,

(ख) वर्ष १९६२-६३ में अल्प बचत से कितना धन एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) १९६०-६१ में लगभग १०५·६१ करोड़ रुपया और १९६१-६२ में लगभग ९०.५६ करोड़ रुपया ।

(ख) १९६२-६३ के बजट में छोटी बचतों से १०५ करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति होने का अनुमान किया गया है ।

(ग) छोटी बचतों के आन्दोलन सम्बन्ध में बराबर विचार किया जाता है और इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये समय समय पर आवश्यक उपाय किये जाते हैं। हाल में जो बड़े बड़े उपाय किये गये हैं उन में से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है :—

(१) डाकखाना बचत बैंक में जमा की गयी रकमों के ब्याज की दर १ अगस्त, १९६२ से व्यक्तिगत खातों की १० हजार रुपये तक की जमा रकमों के लिये २।। प्रतिशत से बढ़ा कर ३ प्रतिशत और इस से अधिक की, १५ हजार रुपये तक की रकमों के लिये २ प्रतिशत से बढ़ा कर २।। प्रतिशत कर दी गयी है;

(२) बढ़ने वाली सावधिक जमा योजना (क्यूम्यूलेटिव टाइम डिपाजिट स्कीम) में १५ वर्ष वाला खाता जारी किया गया है और १० वर्ष व १५ वर्ष वाले खातों में जमा की गयी रकमों पर आयकर मे छूट पाने की सुविधा दी गई है;

(३) सरकारी दफ्तरों और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (अण्डरटेकिंग) में वेतन से सीधी बचत करने की योजना जारी की गयी है;

(४) १ जून, १९६२ से राजकोष बचत जमा पत्रों (ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट सर्टिफिकेट) और वार्षिकी पत्रों (एन्यूइटी सर्टिफिकेट) पर दिये जाने वाले कमीशन की दर ।। प्रतिशत से बढ़ा कर १ प्रतिशत कर दी गयी है; और

(५) वाणिज्यक प्रतिष्ठानों की मार्फत छोटी बचतों के बारे में प्रचार किया जाता है ।